## अध्याय III: वित्तीय प्रबंधन

इस अध्याय में शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के वित्त पोषण के विभिन्न स्रोतों एवं उनके उपयोग को शामिल किया गया है। अपशिष्ट के द्वार-द्वार संग्रहण हेतु उपयोक्ता प्रभार के संग्रह के लिए शहरी स्थानीय निकायों के प्रयास पर भी चर्चा की गयी है।

**अध्याय का सारांश:**

- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना में शहरी स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, क्षमता निर्माण और प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय एवं सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता घटकों के अंतर्गत 2016-22 की अवधि में अवमुक्त धनराशि क्रमशः शून्य से 63 प्रतिशत, शून्य से 20 प्रतिशत और तीन से 62 प्रतिशत के मध्य थी जबकि राज्य मिशन निदेशक स्तर पर अत्यधिक धनराशि शेष बची थी।
- राज्य सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना में राज्य मिशन निदेशक को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा क्षमता निर्माण और प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय घटकों के अंतर्गत 2017-21 की अवधि के दौरान निधियां क्रमशः 55 से 236 दिन और 11 से 1,098 दिन विलम्ब से अवमुक्त की गयी।
- राज्य में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन घटक के अंतर्गत अक्टूबर 2014 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान शहरी स्थानीय निकायों को ₹ 1,378.83 करोड़ अवमुक्त किये गये, जिसमे से मार्च 2022 तक केवल ₹ 307.17 करोड़ (22 प्रतिशत) के ही उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुए थे ।
- निधि की उपलब्धता के बावजूद, राज्य सरकार, गंगा नदी के तट पर स्थित कस्बों के लिए राज्य उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन की कार्य योजना को लागू नहीं कर सकी।
- नगर निगम गाजियाबाद और नगर निगम लखनऊ द्वारा ठोस अपशिष्ट के द्वार-द्वार संग्रहण हेतु कम से कम ₹ 71.50 करोड़ के उपयोक्ता प्रभार की वसूली नहीं की गयी ।

## 3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये निधि का स्रोत और उपयोग

शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों को स्वयं के संसाधनों के अलावा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना, केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त सहायता अनुदान द्वारा वित्त पोषित किया गया था। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पूंजीगत व्यय मुख्य रूप से स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) और केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त सहायता अनुदान से आच्छादित किया गया था, जबकि राज्य वित्त आयोग अनुदान का उपयोग मुख्य रूप से राजस्व व्यय के लिए किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) और अन्य स्रोतों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के वित्त पोषण और उनके उपयोग पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गयी है।

### 3.1 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के लिये निधि

भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) फ्लैगशिप योजना अक्टूबर 2014 में प्रारंभ की जिसके छः घटकों में से एक घटक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन था। अग्रेतर, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों को स्वच्छ भारत मिशन योजना के दो अन्य घटकों यथा सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता और क्षमता निर्माण एवं प्रशासनिक व कार्यालय व्यय को स्वच्छता[1] के संबंध में क्रमशः जन जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आच्छादित किया गया था।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के दिशा निर्देशों के प्रस्तर 10.1(ई) के अनुसार, राज्य 75 *प्रतिशत* केन्द्रांश से मेल खाने के लिए योजना के सभी घटकों के लिए न्यूनतम 25 *प्रतिशत* निधि का अंशदान देगा। दिशानिर्देशों के प्रस्तर 10.4.6 में आगे यह भी प्रावधानित किया गया है कि राज्य सरकारों को केन्द्रांश की अवमुक्ति के 30 दिनों के अंदर शहरी स्थानीय निकायों को राज्यांश सहित निधि अवमुक्त करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के अंतर्गत

[1] राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति के अनुसार, स्वच्छता को मानव मल के सुरक्षित प्रबंधन के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें इसके सुरक्षित पृथक उपचार, निस्तारण और स्वच्छता संबंधी प्रथाएं शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि समेकित समाधान हेतु पर्यावरणीय स्वच्छता के अन्य घटकों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, अर्थात., ठोस अपशिष्ट प्रबंधन; औद्योगिक और अन्य विशेष/खतरनाक अपशिष्ट का जनन; जल निकासी; साथ ही पेयजल आपूर्ति का प्रबंधन।

2016-22 की अवधि में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, क्षमता निर्माण और सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता के लिए निधि की प्राप्ति और उसके उपयोग की स्थिति **तालिका 3.1** में दी गयी है।

**तालिका 3.1: स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, क्षमता निर्माण और सूचना,शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता घटकों में प्राप्त धनराशि और उसके उपयोग की स्थिति**

**(₹ करोड़ में)**

| घटक | विवरण | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ठोस अपशिष्ट प्रबंधन | कुल उपलब्ध निधि | 74.49 | 217.27 | 933.23 | 828.06 | 962.81 | 1650.67 |
| | शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त निधि | 0.08 | 64.04 | 160.19 | 522.76 | 0.06 | 471.01 |
| | राज्य मिशन निदेशक स्तर पर व्यय | 0.00 | 0.00 | 169.68 | 27.95 | 0.00 | 2.66 |
| | अंतिम अवशेष | 74.41 | 153.23 | 603.36 | 277.35 | 962.75 | 1177.00 |
| | कुल उपलब्ध निधि के सापेक्ष शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त निधि का प्रतिशत | 0.10 | 29 | 17 | 63 | 0.006 | 29 |
| क्षमता निर्माण तथा प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय | कुल उपलब्ध निधि | 1.87 | 47.80 | 40.28 | 30.05 | 24.70 | 26.98 |
| | शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त निधि | 0.38 | 5.25 | 0.00 | 3.75 | 0.42 | 0.00 |
| | राज्य मिशन निदेशक स्तर पर व्यय | 0.25 | 2.27 | 10.23 | 17.12 | 11.78 | 11.95 |
| | अंतिम अवशेष | 1.24 | 40.28 | 30.05 | 9.18 | 12.50 | 15.03 |
| | कुल उपलब्ध निधि के सापेक्ष शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त निधि का प्रतिशत | 20 | 11 | 0 | 12 | 2 | 0 |
| सूचना,शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता | कुल उपलब्ध निधि | 7.48 | 130.50 | 125.58 | 134.45 | 75.14 | 62.94 |
| | शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त निधि | 1.49 | 4.15 | 77.58 | 81.08 | 10.72 | 37.51 |
| | निदेशक राज्य मिशन स्तर पर व्यय | 0.18 | 0.77 | 11.65 | 4.81 | 1.48 | 2.29 |
| | अंतिम अवशेष | 5.81 | 125.58 | 36.35 | 48.56 | 62.94 | 23.14 |
| | कुल उपलब्ध निधि के सापेक्ष शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त निधि का प्रतिशत | 20 | 3 | 62 | 60 | 14 | 60 |

(स्रोत: निदेशक स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार)

**तालिका 3.1** से यह स्पष्ट है कि 2016-22 की अवधि के दौरान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, क्षमता निर्माण और प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय और

सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता घटकों के अंतर्गत उपलब्ध निधि की तुलना में शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त निधि का प्रतिशत क्रमश: शून्य[2] से 63 *प्रतिशत*, शून्य से 20 *प्रतिशत* और तीन से 62 *प्रतिशत* के मध्य था जबकि राज्य मिशन निदेशक स्तर पर अत्यधिक धनराशि अवशेष थी। अग्रेतर, जांच से पता चला कि राज्य सरकार द्वारा 2017-21 की अवधि के दौरान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन घटक में 55 से 236 दिनों और क्षमता निर्माण और प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय घटक में 11 से 1,098 दिनों के विलंब से राज्य मिशन निदेशक को निधि (राज्यांश के साथ केन्द्रांश) अवमुक्त किया गया। परिणामस्वरूप, ₹ 10.43 करोड़ से ₹ 245.67 करोड़ तक का केन्द्रांश 172 दिनों तक राज्य सरकार के स्तर पर अवरुद्ध थी। जिसका विवरण ***परिशिष्ट 3.1*** में दिया गया है।

राज्य सरकार ने बताया (जून 2023) कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कार्य योजना और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने के कारण शहरी स्थानीय निकायों को समानुपातिक रूप से धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी थी। राज्य सरकार ने आगे यह भी बताया कि 2019 से शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कार्य योजना और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद निधियां हस्तांतरित की गयी थी।

तथ्य यह है कि राज्य सरकार, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कार्य योजना और विस्तृत प्रतिवेदन रिपोर्ट को समय पर प्रस्तुत करने का अनुश्रवण करने में विफल रही, जिससे राज्य मिशन निदेशक स्तर पर निधि की उपलब्धता के बावजूद ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रभावित हुआ।

### 3.1.1 नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) निधि का उपयोग

2016-22 की अवधि के दौरान नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत उपलब्ध कुल निधि एवं उसके व्यय का विवरण **तालिका 3.2** में दिया गया है।

[2] 2020-21 के दौरान 0.006 प्रतिशत।

**तालिका 3.2: नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना में मार्च 2022 तक कुल उपलब्ध निधि और व्यय की स्थिति**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | घटक | कुल उपलब्ध निधि | कुल व्यय/ उपयोग | अंतिम अवशेष | निधि के उपयोग का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | क्षमता निर्माण व प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय | 0.54 | 0.20 | 0.34 | 37 |
| | सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता | 1.34 | 0.48 | 0.86 | 36 |
| 2017-18 | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन | 5.30 | 0.00 | 5.30 | 0 |
| | क्षमता निर्माण व प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय | 1.97 | 0.55 | 1.42 | 28 |
| | सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता | 2.17 | 1.10 | 1.07 | 51 |
| 2018-19 | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन | 20.16 | 3.62 | 16.54 | 18 |
| | क्षमता निर्माण व प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय | 1.74 | 1.05 | 0.69 | 60 |
| | सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता | 10.62 | 5.82 | 4.80 | 55 |
| 2019-20 | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन | 81.74 | 13.34 | 68.40 | 16 |
| | क्षमता निर्माण व प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय | 1.50 | 0.60 | 0.90 | 40 |
| | सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता | 23.67 | 11.85 | 11.82 | 50 |
| 2020-21 | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन | 68.63 | 17.09 | 51.54 | 25 |
| | क्षमता निर्माण व प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय | 0.97 | 0.43 | 0.54 | 44 |
| | सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता | 14.28 | 6.59 | 7.69 | 46 |
| 2021-22 | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन | 98.30 | 23.86 | 74.44 | 24 |
| | क्षमता निर्माण व प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय | 0.63 | 0.11 | 0.52 | 17 |

| वर्ष | घटक | कुल उपलब्ध निधि | कुल व्यय/ उपयोग | अंतिम अवशेष | निधि के उपयोग का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| | सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता | 14.08 | 6.21 | 7.87 | 44 |

(स्रोत: नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

**तालिका 3.2** से यह स्पष्ट है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, क्षमता निर्माण व प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय और सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता के अंतर्गत निधि का उपयोग क्रमशः शून्य से 25 प्रतिशत, 17 से 60 प्रतिशत और 36 से 55 प्रतिशत के मध्य था। चूंकि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन घटक के अंतर्गत सहायता-अनुदान मुख्य रूप से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर पूंजीगत व्यय के लिये है, इसलिए 2017-22 के दौरान अत्यधिक अवशेष धनराशि यह इंगित करती है कि शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कमी थी|

लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि राज्य मिशन निदेशक ने अक्टूबर 2014 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान स्वच्छ भारत मिशन(शहरी) योजना के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन घटक के अंतर्गत राज्य में शहरी स्थानीय निकायों को ₹1,378.83 करोड़ अवमुक्त किये । इसमें से, राज्य मिशन निदेशक को केवल ₹ 307.17 करोड़ (22 प्रतिशत) के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त हुये थे और ₹ 1,071.66 करोड़ की अवशेष निधि के उपभोग प्रमाण पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुये थे (मार्च 2022)।

नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में लेखापरीक्षा में देखा गया कि नगर पंचायत, चितबड़ागांव, बलिया ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के अंतर्गत अक्टूबर 2018 और अगस्त 2019 में ठोस अपशिष्ट के संग्रहण एवं परिवहन के लिये उपकरणों एवं वाहनों के क्रय हेतु अवमुक्त ₹ 25.15 लाख[3] का उपयोग नहीं किया था। नगर पंचायत ने आगे (मार्च 2020), 14वें वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत परिवहन हेतु वाहनों (बिन्स सहित 20 तिपहिया साइकिल और दो टिपर) का क्रय किया था। हालांकि, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत अवमुक्त धनराशि का

[3] स्टैंड के साथ जुड़वा कूड़ेदान ₹ 5.25 लाख (अक्टूबर 2018) और अगस्त 2019 में संग्रहण और परिवहन के लिए उपकरण एव वाहन (17 तिपहिया साइकिल हेतु कूड़ेदान सहित, दो छोटे टिपर और 40 व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट) ₹ 19.90 लाख के क्रय हेतु।

नगर पंचायत द्वारा न तो उपयोग किया गया था और न ही राज्य मिशन निदेशक को वापस ही किया गया था, परिणामस्वरूप निधि अवरुद्ध रही।

राज्य सरकार ने बताया (जून 2023) कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये अवमुक्त की गयी धनराशि के संबंध में मार्गदर्शन की कमी के कारण, शहरी स्थानीय निकाय 2016-18 के मध्य समानुपातिक रूप से व्यय नहीं कर सके। राज्य सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि नगर पंचायत चितबड़ागांव बलिया ने ₹ 25.15 लाख का उपयोग ठोस अपशिष्ट के संग्रहण एवं परिवहन के लिये नहीं किया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि 2019-22 की अवधि के दौरान भी उपलब्ध निधि का उपभोग संतोषजनक नहीं था और यह 16 से 25 प्रतिशत के मध्य था।

## 3.2 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) अनुदान के अतिरिक्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये वित्त पोषण

शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों को केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग अनुदानों के माध्यम से भी वित्त पोषित किया गया था । 2016-22 के दौरान राज्य में समस्त शहरी स्थानीय निकायों को केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग अनुदानों के तहत अवमुक्त निधि का विवरण **तालिका 3.3** में दिया गया है|

**तालिका 3.3: केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत राज्य में शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त की गयी निधि का विवरण**

**(रु. करोड़ में)**

| अनुदान का नाम | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| केंद्रीय वित्त आयोग | 1167.42 | 2213.56 | 1817.65 | 2455.99 | 4338.00 | 1761.25 |
| राज्य वित्त आयोग | 6085.46 | 6939.92 | 7312.50 | 8700.00 | 8525.00 | 9900.00 |

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

राज्य में शहरी स्थानीय निकायों को केंद्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग अनुदान की कुल अवमुक्त धनराशि से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के लिए निर्गत की गयी धनराशि का विवरण निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

### 3.2.1 नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) अनुदान से भिन्न ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर किया गया व्यय

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 15(एक्स) के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों को पूंजीगत निवेश के साथ ही साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए निधियों का वार्षिक बजट में पर्याप्त उपबंध करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थानीय निकाय के विवेकाधीन कार्यों के लिए, इन नियमों द्वारा निर्धारित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्थानीय निकाय के अन्य अनिवार्य कार्यों के लिए आवश्यक निधि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही निधि आवंटित किया जाय।

नमूना जांच किये गये 45 शहरी स्थानीय निकायों में 2016-22 की अवधि के दौरान कुल उपलब्ध निधि (स्वच्छ भारत मिशन-शहरी अनुदान के अतिरिक्त) तथा समग्र व्यय की तुलना में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर किया गया व्यय **तालिका 3.4** में दिया गया है।

**तालिका 3.4: नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में मार्च 2022 तक समग्र व्यय की तुलना में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर किये गये व्यय का विवरण (स्वच्छ भारत मिशन -शहरी अनुदान के अतिरिक्त)**

**(रु. करोड़ में)**

| वर्ष | शहरी स्थानीय निकायों के स्वयं के राजस्व सहित कुल उपलब्ध निधि (स्वच्छ भारत मिशन शहरी अनुदानों के अतिरिक्त) | कुल व्यय | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर व्यय | कुल व्यय के सापेक्ष प्रतिशत के रूप में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर व्यय |
|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 4006.10 | 2785.31 | 574.27 | 21 |
| 2017-18 | 4374.41 | 3041.49 | 660.62 | 22 |
| 2018-19 | 3874.04 | 2520.58 | 784.51 | 31 |
| 2019-20 | 4253.59 | 2794.09 | 789.83 | 28 |
| 2020-21 | 4976.82 | 3037.57 | 886.98 | 29 |
| 2021-22 | 5064.65 | 3480.41 | 1042.84 | 30 |
| **योग** | **26549.61** | **17659.45** | **4739.05** | |

(स्रोत: नमूना जांच किए गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

**तालिका 3.4** से यह स्पष्ट है कि 2016-22 की अवधि के दौरान नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर किया गया व्यय, निकायों में किये गये समग्र व्यय की तुलना में 21 से 31

प्रतिशत के मध्य था। तथापि, यह व्यय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक संख्या से कम मानव संसाधनों की तैनाती, द्वार-द्वार संग्रहण में कम उपलब्धि तथा अपर्याप्त प्रसंस्करण एवं निस्तारण के कारण अपर्याप्त रहा जैसा कि इस प्रतिवेदन में चर्चा की गयी है।

## 3.3 बिना अनुबंध किये फर्म को निधियां अवमुक्त करना तथा ₹ 15 लाख फर्म द्वारा वापस न किया जाना

राज्य सरकार ने 15 जनवरी 2019 से 4 मार्च 2019 तक आयोजित कुंभ मेला 2019 में उत्पन्न 10,000 मीट्रिक टन पुराने अपशिष्ट के निस्तारण के लिए आदेश (मई 2019) निर्गत किया। राज्य मिशन निदेशक ने फर्म मेसर्स हरी भरी रिसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड[4] के साथ अनुबंध किये बिना पुराने अपशिष्ट के निस्तारण के लिए सीधे फर्म को ₹ 95.28 लाख[5] अवमुक्त किया (मई 2019)। अवमुक्त की गयी धनराशि में खाद की पैकेजिंग के लिए फर्म को ऋण के रूप में ₹15.00 लाख शामिल था, जिसकी वापसी फर्म द्वारा खाद की बिक्री के बाद राज्य मिशन निदेशक को करना था। यद्यपि, पूर्व में दिये गये उत्तर (मई 2020)[6] में, राज्य सरकार ने बताया कि कुंभ मेला में उत्पन्न अपशिष्ट के प्रसंस्करण के पश्चात, लगभग 1,345 मीट्रिक टन खाद का उत्पादन हुआ था, जिसमें से 604 मीट्रिक टन फर्म द्वारा ₹ 15.10 लाख में बेचा गया था। जबकि, ₹15 लाख की धनराशि अभी भी वसूल नहीं की गयी थी (जून 2023)। इसके अतिरिक्त, अनुबंध के बिना फर्म को निधि अवमुक्त करना वित्तीय नियमों[7] के प्रतिकूल था।

राज्य सरकार ने बताया (जून 2023) कि फर्म के साथ पत्राचार किया गया था और धनराशि शीघ्र ही वापस प्राप्त कर ली जायेगी।

---

[4] ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रयागराज में काम करने वाली एक रियायतग्राही फर्म।

[5] पुराने अपशिष्ट के निस्तारण के लिए ₹ 35.00 लाख (मई 2019), संयंत्र को कार्यात्मक बनाने के लिए ₹ 40.00 लाख (मई 2019) और खाद पैकिंग के लिए ₹ 15.00 लाख (जून 2019) और वस्तु एवं सेवा कर के लिए ₹ 5.28 लाख (जुलाई 2019)।

[6] वर्ष 2021 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 02 का पैराग्राफ 3.3 - उत्तर प्रदेश सरकार (कुंभ मेला 2019 की लेखापरीक्षा)।

[7] उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल का पैराग्राफ 212 (vii) (4) और वित्तीय हस्तपुस्तिका का पैराग्राफ 455।

## 3.4 गंगा नदी के किनारे स्थित शहरी स्थानीय निकायों के लिये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनायें निष्पादित न किया जाना

राज्य उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने गंगा नदी के किनारे स्थित 18 शहरी स्थानीय निकायों में विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन[8] के लिए ₹ 164.49 करोड़ की कार्य योजना का अनुमोदन (नवंबर 2018) प्रदान किया। कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए, राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) ने दिसंबर 2018 में राज्य स्वच्छ गंगा मिशन को ₹ 164.49 करोड़ हस्तांतरित किये। परियोजनाओं को संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कार्यान्वित किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 164.49 करोड़[9] में से, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन ने चार शहरी स्थानीय निकायों को ₹ 22.14 करोड़ की कुल अनुमोदित परियोजना लागत के सापेक्ष ₹ 8.79 करोड़ इन शहरी स्थानीय निकायों[10] को हस्तांतरित (फरवरी 2019) किया। राज्य स्वच्छ गंगा मिशन ने कार्य योजना के कार्यान्वयन में विलंब का अनुमान लगाते हुए अवशेष ₹ 155.69 करोड़ राज्य मिशन निदेशक को वापस (अगस्त 2019) कर दिया गया। इस प्रत्याशित विलंब का कारण अभिलेखों में नहीं था। आगे, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन (मार्च 2022) के अभिलेखों[11] के अनुसार, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा अर्जित ₹ 4.21 करोड़ ब्याज की धनराशि राज्य मिशन निदेशक को हस्तांतरित नहीं की गयी थी।

राज्य सरकार ने उत्तर (जून 2023) में बताया कि राज्य स्वच्छ गंगा मिशन से टिप्पणी प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही थी। राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) ने आगे सूचित (अगस्त 2023) किया कि गंगा नदी के किनारे स्थित 18 शहरी स्थानीय निकायों में से, 14 शहरी स्थानीय

---

[8] पूंजीगत लागत ₹ 80.02 करोड़ (घरेलू कूड़ेदान, तिपहिया साईकिलें, ठोस और तरल संसाधन प्रबंधन केंद्र, बायो डाइजेस्टर, निक्षालक शोधन संयंत्र, मलीय कचरा उपचार, डक और डक शेड इकाई) और परिचालन लागत ₹ 84.47 करोड़।

[9] नगर पंचायत हस्तिनापुर मेरठ, नगर पालिका परिषद अनूपशहर बुलंदशहर, नगर पालिका परिषद गंगाघाट उन्नाव और नगर पंचायत सैदपुर गाजीपुर।

[10] हस्तिनापुर (मेरठ)- अनुमोदित लागत (₹ 3.95 करोड़)/ स्थानांतरित (₹ 1.10 करोड़); अनूपशहर (बुलंदशहर)- अनुमोदित लागत (₹ 4.25 करोड़)/ स्थानांतरित (₹ 1.09 करोड़); गंगाघाट (उन्नाव)- अनुमोदित लागत (₹ 10.02 करोड़)/ स्थानांतरित (₹ 5.59 करोड़); सैदपुर (गाजीपुर)- अनुमोदित लागत (₹ 3.92 करोड़)/ स्थानांतरित (₹ 1.02 करोड़)।

[11] राज्य स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बनाये गये लेजर के अनुसार।

निकायों को उनसे प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद धनराशि अपशिष्ट के संग्रहण और परिवहन के लिए हस्तांतरित कर दी गयी।

### 3.4.1 राज्य उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के कार्यान्वयन में नगर पंचायत सैदपुर, गाजीपुर की विफलता

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य स्वच्छ गंगा मिशन ने दो ठोस-तरल संसाधन प्रबंधन केंद्रों की स्थापना और गौशाला/डेयरी के लिए बायो-डाइजेस्टर, कूड़ेदान/तिपहिया साइकिल के क्रय तथा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रस्तर 3.4 में यथा उल्लिखित नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में से एक स्थानीय निकाय नगर पंचायत, सैदपुर को ₹ 1.02 करोड़ हस्तांतरित किया (मार्च 2019)। नगर पंचायत सैदपुर ने ₹ 25.03 लाख की लागत से ठोस-तरल संसाधन प्रबंधन सुविधा के निर्माण के लिए कार्यादेश (अगस्त 2019) निर्गत किया गया। तथापि, नगर पंचायत ने बाद में ठोस-तरल संसाधन प्रबंधन के स्थान पर एक सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केंद्र का निर्माण प्रारंभ किया। इस संदर्भ में, नगर पंचायत ने लेखापरीक्षा को सूचित (जून 2022) किया कि फरवरी 2020 में आयोजित एक बैठक में दिये गये मौखिक निर्देशों[12] के परिप्रेक्ष्य में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा का निर्माण किया जा रहा था। अग्रेतर, नगर पंचायत ने सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा के निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन घटक से ₹ 13.34 लाख[13] के अतिरिक्त व्यय के अनुमोदन के लिए राज्य मिशन निदेशक से अनुरोध (अक्टूबर 2020) किया, जिस पर जून 2022 तक राज्य मिशन निदेशक से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि नगर पंचायत, सैदपुर ने सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा के निर्माण पर ₹ 19.39 लाख, दो बिन्स के क्रय पर ₹ 17.40 लाख और तिपहिया साइकिल की खरीद पर ₹ 5.57 लाख का उपयोग किया था। अवमुक्त धनराशि ₹ 101.78 लाख में से अवशेष धनराशि ₹ 67.44 लाख[14] का उपयोग न तो नगर पंचायत द्वारा वांछित उद्देश्यों[15] के लिए किया

---

[12] नगर पंचायत ने यह उल्लेख नहीं किया कि उन्होंने किसके मौखिक निर्देश पर कार्य किया था।

[13] सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केंद्र के लिए अनुमानित लागत ₹ 38.37 लाख (-) ठोस तरल संसाधन प्रबंधन केंद्र के लिए अनुमोदित लागत (₹ 25.03 लाख) = ₹ 13.34 लाख।

[14] उपलब्ध निधि: निर्गत धनराशि ₹ 101.79 लाख (+) बैंक ब्याज ₹ 8.01 लाख (-) उपयोग की गयी निधि ₹ 42.36 लाख = ₹ 67.44 लाख।

[15] ठोस तरल संसाधन प्रबंधन और वार्ड स्तर प्रशिक्षण; ठोस तरल संसाधन प्रबंधन केंद्र और बायो-गैस डाइजेस्टर; टूलकिट।

गया और न ही राज्य मिशन निदेशक को वापस किया गया। इस प्रकार, नगर पंचायत सैदपुर गाजीपुर, गंगा नदी के किनारे स्थित कस्बों में विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के दृष्टिकोण से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राज्य उच्चाधिकार समिति द्वारा अनुमोदित (नवंबर 2018) कार्य योजना को लागू करने में विफल रहा।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि नगर पंचायत सैदपुर द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ₹391.94 लाख की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार की गयी थी, जिसे राज्य स्वच्छ गंगा मिशन निदेशालय द्वारा अनुमोदित किया गया था तथा ₹101.78 लाख की धनराशि अप्रैल 2019 में नगर पंचायत को हस्तांतरित कर दी गयी। जबकि, उत्तर में राज्य उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्य योजना का क्रियान्वयन नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं बताया गया।

## 3.5 वाह्य सेवा प्रदाता फर्म को वस्तु एवं सेवा कर का अनियमित भुगतान

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 12/2017 केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार स्थानीय प्राधिकरण को प्रदान की जा रही सेवाओं (कार्य अनुबंध सेवा या किसी भी सामान की आपूर्ति से जुड़ी अन्य संयुक्त आपूर्ति के अतिरिक्त) जो संविधान के अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के तहत किसी भी गतिविधि हेतु नगर निकायों को सौंपे गये किसी भी कार्य के संबंध में हों, वस्तु और सेवा कर से छूट दी गयी है। अग्रेतर, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य संविधान की 12 वीं अनुसूची के अंतर्गत उन्हें सौंपे गये कार्यों के अनुसार किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किए गये तीन[16] शहरी स्थानीय निकायों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिए जनशक्ति की आपूर्ति हेतु वाह्य सेवा प्रदाता संस्थायों को भुगतान किया था, जिसमें वस्तु और सेवा कर के रूप में ₹ 60.09 लाख का भुगतान शामिल था, जबकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को वस्तु और सेवा कर से छूट प्रदान की गयी है। इसके परिणामस्वरूप, ठेकेदारों को ₹ 60.09 लाख का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण ***परिशिष्ट 3.2*** में दिया गया है।

[16] नगर पंचायत रुधौली बाजार बस्ती, नगर पंचायत ज़ेवर गौतम बुद्ध नगर और नगर पंचायत कुलपहाड़ महोबा।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी के संबंध में उत्तर (जून 2024) प्रस्तुत नहीं किया।

## 3.6 उपयोक्ता प्रभार की वसूली

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016 की धारा 1.4.5.6.4 में प्रावधानित है कि शहरी स्थानीय निकायों को अपशिष्ट के द्वार-द्वार संग्रहण ,परिवहन, प्रसंस्करण और भूमि भरण में अंतिम निस्तारण के लिए सेवा लागत की शत प्रतिशत वसूली हेतु प्रयास 'प्रदूषक भुगतान' सिद्धांत के आधार पर उपयोक्ता प्रभार के अधिरोपण के आधार पर करना चाहिए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 (एफ) में प्रावधानित है कि शहरी स्थानीय निकायों को उपयुक्त उपयोक्ता प्रभार का निर्धारण जैसा वे उचित समझे करना चाहिए तथा उसकी वसूली अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों से सीधे या अधिकृत एजेंसी के माध्यम से करना चाहिए। अग्रेतर, नियम 15 (जेड एफ) प्रावधानित करता है कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपविधि बनायी जायेगी जिसमे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का उल्लंघन करने की स्थिति में मौके पर जुर्माना लगाने के लिए मानदंड वर्णित किया जायेगा।

उपयोक्ता प्रभार का संग्रहण शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं की वित्तीय स्थिरिता सुनिश्चित करता है। तथापि, जैसा कि प्रस्तर 2.5 में चर्चा की गयी है, नमूना जाँच किये गये 45 शहरी स्थानीय निकायों में से केवल 10 शहरी स्थानीय निकायों[17] (22 प्रतिशत) द्वारा अपशिष्ट के द्वार-द्वार संग्रहण के लिए उपयोक्ता प्रभार की वसूली हेतु उपविधि तैयार की गयी थी । अग्रेतर, नगर निगम लखनऊ द्वारा उपविधि न बनाये जाने के बावजूद, कार्यकारी परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर उपयोक्ता प्रभार एकत्रित किया जा रहा था।

नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों के 495 घरों में किये गये सार्वजनिक सर्वेक्षण में, लेखापरीक्षा ने पाया कि मात्र आठ प्रतिशत उत्तरदाता अपशिष्ट के द्वार-द्वार संग्रहण के लिए उपयोक्ता प्रभार का भुगतान कर रहे थे जो शहरी स्थानीय निकायों के अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए

[17] नगर निगम गाजियाबाद, नगर निगम कानपुर, नगर पालिका परिषद बुलंदशहर, नगर पालिका परिषद चित्रकूटधाम कर्वी चित्रकूट, नगर पालिका परिषद देवरिया, नगर पालिका परिषद हाथरस, नगर पालिका परिषद लोनी गाजियाबाद, नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर, नगर पालिका परिषद शाहाबाद हरदोई और नगर पंचायत खानपुर बुलंदशहर।

अपर्याप्त प्रयासों का द्योतक है| उपयोक्ता प्रभार की वसूली में पायी गयी कमियों पर चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गयी है।

### 3.6.1 नगर निगम लखनऊ में अप्राप्त उपयोक्ता प्रभार

अपशिष्ट के द्वार-द्वार संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण के लिए चयनित रियायतग्राही समझौता (मार्च 2017) के अनुसार, रियायतग्राही[18] नगर निगम लखनऊ की ओर से उपयोक्ता प्रभार संग्रहण हेतु उत्तरदायी था। रियायतग्राही को अनुबंध[19] में यथा निर्धारित मासिक आधार पर बिल योग्य उपयोक्ता प्रभार की कुल धनराशि के सापेक्ष न्यूनतम धनराशि का संग्रहण सुनिश्चित करना था। यदि रियायतग्राही यथा निर्धारित उपयोक्ता प्रभार संग्रह करने में विफल रहता है, तो नगर निगम लखनऊ के पास माह विशेष के लिए रियायतग्राही को देय बख्शीश फीस[20] से कम वसूल की गयी धनराशि को रोकने का अधिकार था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि रियायतग्राही ने लखनऊ शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अप्रैल 2017 से नगर निगम, लखनऊ को बख्शीश फीस के बिल प्रस्तुत किये। यद्यपि, आवासीय और गैर-आवासीय संपत्तियों के लिए न्यूनतम दरों[21] के आधार पर 2017-21 की अवधि में कुल वसूली योग्य उपयोक्ता प्रभार ₹ 49.15 करोड़ में से, रियायतग्राही ने मात्र ₹ 32.88 करोड़ की वसूली की जिसका विवरण ***परिशिष्ट 3.3*** में दिया गया है। परिणामस्वरूप, कम से कम ₹ 16.27 करोड़ उपयोक्ता प्रभार अप्राप्त रहा। अग्रेतर, इस अवधि के दौरान अनुबंध के अनुसार कम वसूल किये गये उपयोक्ता प्रभार की धनराशि को रोके बिना रियायतग्राही को बख्शीश फीस का भुगतान किया गया था।

---

[18] इको ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड।

[19] उपयोक्ता प्रभार की कुल राशि का 50 प्रतिशत, 60 प्रतिशत और 75 प्रतिशत क्रमशः पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए मासिक आधार पर बिल योग्य था। रियायतग्राही 1 जुलाई 2017 से न्यूनतम उपयोक्ता प्रभार के संग्रह के लिए उत्तरदायी था।

[20] बख्शीश फीस स्थानीय प्राधिकारियों या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी राज्य एजेंसी द्वारा निर्धारित एक शुल्क या समर्थन मूल्य है जिसका भुगतान रियायतग्राही या अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा के संचालक को या भूमि भरण पर ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के लिए किया जाता है।

[21] लेखापरीक्षा में वसूली योग्य उपयोक्ता प्रभार की गणना 2017-22 की अवधि के दौरान परिवारों (प्रति माह ₹ 40/- प्रति परिवार) और अन्य प्रतिष्ठान (प्रति माह ₹ 100/- प्रति अन्य प्रतिष्ठान) के लिए न्यूनतम दरों के आधार पर की गयी थी।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि रियायतग्राही उपयोक्ता प्रभार के संग्रह के लिए सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता गतिविधियों को आयोजित करने में विफल रहा, जिसके लिए रियायतग्राही को कई बार नोटिस निर्गत किया गया था और कुछ दंड भी आरोपित किये गये थे। आगे यह भी बताया गया कि रियायतग्राही के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

### 3.6.2 नगर निगम गाजियाबाद में उपयोक्ता प्रभार की कम प्राप्ति

नगर निगम ने द्वार-द्वार संग्रहण सेवाओं हेतु उपयोक्ता प्रभार के संग्रह के लिए उपविधि का प्रकाशन (अगस्त 2017) किया। उपविधि में उल्लिखित दरें भवन के कुर्सी क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित की गयीं थीं, जो कि गरीबी रेखा से नीचे पक्के आवासीय भवनों के लिए न्यूनतम ₹ 30 प्रति माह से लेकर 3-स्टार या अन्य उच्च श्रेणी के 1,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले होटलों के लिए अधिकतम ₹ 14,000 प्रति माह तक थी। गैर-आवासीय संपत्तियों हेतु उपयोक्ता प्रभार की न्यूनतम दर ₹ 70 प्रति माह छोटी मोहल्ला दुकानों के लिए निर्धारित की गयी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर निगम गाजियाबाद क्षेत्र में 2018-22 के दौरान आवासीय भवनों की संख्या 2.93 लाख से 4.20 लाख के मध्य थी, जबकि गैर-आवासीय संपत्तियों की संख्या 26,220 से 32,541 के मध्य थी। आवासीय और गैर-आवासीय संपत्तियों के लिए उप-विधि में निर्धारित न्यूनतम दरों के आधार पर, ₹ 60 करोड़ के उपयोक्ता प्रभार की वसूली की जा सकती थी, जिसके सापेक्ष केवल ₹ 4.77 करोड़ की वसूली की गयी थी (***परिशिष्ट 3.4***)। इस प्रकार, नगर निगम द्वारा 2018-22 की अवधि के दौरान न्यूनतम ₹ 55.23 करोड़ के उपयोक्ता प्रभार की वसूली कम की गयी।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि नगर निगम गाजियाबाद उपयोक्ता प्रभार बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा था जो वर्ष दर वर्ष संग्रह किये गये उपयोक्ता प्रभार के विवरण से स्पष्ट है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि नगर निगम गाजियाबाद आवासीय और गैर-आवासीय संपत्तियों के लिए उपविधि में निर्धारित न्यूनतम दरों के सापेक्ष उपयोक्ता प्रभार की वसूली करने में समर्थ नहीं था। इस प्रकार, संबंधित उपविधि के अनुपालन में द्वार-द्वार संग्रहण की लागत की भरपाई हेतु

उपयोक्ता प्रभार वसूलने के लिए और अधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

**संक्षेप में,** राज्य सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के अंतर्गत राज्य मिशन निदेशक को 1,098 दिनों तक के विलंब के साथ धनराशि अवमुक्त किया। अग्रेतर, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2016-22 की अवधि के दौरान स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के अंतर्गत निधि का कम उपयोग किया गया जिससे यह प्रतीत होता है की शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कमी थी। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) अनुदान के अतिरिक्त 2016-22 की अवधि के दौरान नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर किया गया व्यय समग्र व्यय की तुलना में 21 से 31 प्रतिशत के मध्य था। तथापि, यह व्यय द्वार-द्वार संग्रहण, प्रसंस्करण और ठोस अपशिष्ट के निस्तारण में कम उपलब्धि के कारण अपर्याप्त रहा। अग्रेतर, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं की वित्तीय स्थिरिता के लिए उपयोक्ता प्रभार की समुचित वसूली सुनिश्चित नहीं की गयी थी। नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में से मात्र 22 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों ने ठोस अपशिष्ट के द्वार-द्वार संग्रहण के लिए उपयोक्ता प्रभार की वसूली के लिए उपविधि बनाया था। इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपयोक्ता प्रभार की कम वसूली की गयी थी।

***अनुसंशा 5:*** *ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी धनराशि निर्दिष्ट समय के अंदर शहरी स्थानीय निकायों को निर्गत की जानी चाहिये और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि निधियां राज्य सरकार के पास अवरुद्ध न रहें।*

***अनुसंशा 6:*** *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि शहरी स्थानीय निकाय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर पर्याप्त व्यय करें।*